मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गांरटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक / 7363 /MIS/NR-10/MGNREGA-MP/13 भोपाल, दिनांक 29 / 08 / 2013

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला पंचायत .... (समस्त)
   मध्यप्रदेश

विषय :– मजदूरी तथा सामग्री के लंबित भुगतान की कार्यवाही करने के संबंध में।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु ई–एफएमएस अंतर्गत अकुशल / अर्धकुशल / कुशल मजदूर सामग्री भुगतान के लंबित भुगतान के शीघ्र निराकरण के लिये प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कार्य किये जाये–

1. दिनांक 25 अगस्त 2013 तक उपयोग हो चुके समस्त मस्टररोल के भुगतान आदेश जारी कर एफ.टी.ओ. जारी करना। **समय–सीमा 01 सप्ताह**
2. अर्धकुशल / कुशल मजदूरों का नरेगा सॉफ्ट में पंजीयन, बैंक अकाउंट सत्यापन तथा उनके भुगतान की जानकारी दर्ज कर एफ.टी.ओ. जारी करना। **समय–सीमा 01 सप्ताह**
3. कार्य पर उपयोग / क्रय की गई सामग्री के सत्यापित व मूल्यांकित बिल / व्हाउचर्स का संकलन कर विहित प्रक्रिया से एम.आई.एस. में दर्ज करना है। **समय–सीमा अधिकतम 03 दिवस**
4. सामग्री भुगतान का एफ.टी.ओ. जारी करने के लिये लंबित सामग्री भुगतान से संबंधित कार्यों के डीपीआर फ्रीज करना एवं वेंडर की जानकारी फ्रीज करना है। **समय–सीमा अधिकतम 07 दिवस**
5. ऐसे कार्य जिनके मस्टररोल जारी किये गये हैं, परन्तु सामग्री क्रय की जाना शेष है। उनके सामग्री भुगतान का एफ.टी.ओ. जारी करने के लिये संबंधित कार्यों के डीपीआर फ्रीज करना एवं वेंडर की जानकारी फ्रीज करना है। **समय–सीमा अधिकतम 10 दिवस**
6. शेष समस्त कार्य जिनको वित्तीय वर्ष 2013–14 में क्रियान्वित किया जाना है। उक्त कार्यों के डीपीआर फ्रीज करना। **समय–सीमा अधिकतम 30 दिवस**

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त लंबित भुगतान 01 सप्ताह में किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि भारत सरकार को आगामी किश्त का प्रस्ताव भेजा जा सके।

28/8/13

(डॉ रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल